



कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

सिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. पीएण्डए/18 (216)/2019 खंड III (A) दिनांक 13 अप्रैल 2021

कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न कंपनी, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता केलिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी पदों को भरने हेतु पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उमीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं : -

क. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :

पदों का नाम, सिक्तियों की संख्या और आरक्षण व्यौरा	शैक्षिक योग्यता	अनुभव व कार्य अपेक्षाएं
सहायक इंजीनियर (मेकानिकल) 1 पद (अनारक्षित)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकानिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।	<p>अनिवार्य अनुभव#: योग्यता प्राप्त करने के बाद,</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिप्यार्ड/ डॉकयार्ड या • इंजीनियरिंग कंपनी या • सरकारी रक्षा/ इंजीनियरिंग स्थापना में सात वर्षों का अनुभव, जिसमें दो साल कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक पर्यवेक्षी पद में होना चाहिए। <p>वांछनीय अनुभव:</p> <p>क) वेलिंग तकनीक और एनडीटी तकनीकों में प्रवीणता और अनुभव । ख) समुद्री पतवार, पेंटिंग और मेकानिकल प्रणाली में ज्ञान । ग) समुद्री जहाजों के लिए वर्ग नियमों और विनियमों से परिचित। घ) कंप्यूटरीकृत वातावरण में काम करने का अनुभव ।</p> <p>कार्य अपेक्षाएं : दैनिक पोत मरम्मत गतिविधियों की योजना, आयोजन एवं समन्वय कार्यों में सहायता प्रदान करना, पोत मरम्मत से संबंधित सभी हल, मेकानिकल और मशीनरी कार्यों के निष्पादन एवं समय पर पूर्ति संबंधी कार्य, श्रमिकों की दैनिक कार्य अनुसूची की योजना बनाकर उन्हें उनके काम की प्रकृति का मार्गदर्शन करना और उनकी रुचि, योग्यता, कौशल और हितों के अनुसार श्रमिकों के बीच काम को विभाजित करना, सही जगह पर</p>

पदों का नाम, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण व्यौरा	शैक्षिक योग्यता	अनुभव व कार्य अपेक्षाएं
		<p>संसाधनों की भौतिक सेंटिंग, उत्पादन, लक्ष्य निर्धारित करके श्रमिकों का मार्गदर्शन करना, उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देश और दिशा-निर्देश प्रदान करना, समय-सारणी के अनुरूप वास्तविक प्रदर्शन को रिकॉर्ड करना, कार्य की प्रगति की जाँच करना, यदि कोई विचलन का पता लगता है तो उसका समाधान करना, यदि स्वतंत्र रूप से हल नहीं किया गया है तो इसे संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करना, परियोजना टीम, ग्राहकों, विक्रेताओं और ठेकेदारों के साथ-साथ परियोजना के निष्पादन के दौरान और चालान निपटान के दौरान समन्वय करना, सामग्री के क्रय में विक्रेताओं के साथ संबंध बनाना, उप-ठेकेदार कार्य पैकेजों के लिए ठेकेदारों के साथ समन्वय करना, यार्ड की गुणवत्ता प्रबंधन और एचएसई प्रणाली के अनुसार सहमत दोष सूची, एडब्ल्यूआरएफ, जीडब्ल्यूआरएफ आदि के अनुसार कार्य की मरम्मत की गुंजाइश को निष्पादित करना, अनुरक्षण गतिविधियों की निगरानी करना और तकनीकी और प्रणाली आरेखण को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।</p>

डिज़ाइन/ गुणवत्ता आश्वासन/ गुणवत्ता नियंत्रण में अनुभव को विचार नहीं किया जाएगा।

ख. वेतनमान , लाभ व तैनाती का स्थान

क)

i) ग्रेड और वेतनमान:

ग्रेड	वेतनमान
पी एस -I	₹28000-3%-110000

ii) आज की तारीख में मासिक परिलब्धियां

क्र.सं.	वेतन प्रकार	राशि
1	मूल वेतन	28000
2	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 18.4%)	5152
3	मकान किराया भत्ता (यदि आवास सीएसएल द्वारा प्रदान नहीं किया है तो- वर्तमान में 24%)	6720
4	अनुलब्धियां व भत्ते - 35%	9800
कुल		49672

ख) अन्य लाभों में अंशदायी भविष्य निधि योजना, दुर्घटना बीमा कवरेज, अंशदायी चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत चिकित्सा व्यया की प्रतिपूर्ति, छुट्टी नकदीकरण, निष्पादन भुगतान, स्वीकार्य के रूप में अन्य भत्ते आदि शामिल हैं।

ग) अन्य पीएसयू/ सरकारी प्रतिष्ठानों से उम्मीदवारों केलिए वेतन संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

घ) तैनाती, सीएसएल द्वारा वांछितानुसार, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)/ सीएसएल के अन्य कोई यूनिट/ परियोजना साइटों में होगी। सभी उम्मीदवार को अच्छा संचार कौशल होना चाहिए और हिंदी / बंगाली/ अंग्रेज़ी में संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए।

ग. आयु

पदों केलिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दि. 05 मई 2021 के अनुसार 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंचमार्क डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु में छूट होगी जो अधिकतम 50 वर्ष है।

घ. चयन की रीति:

क) चयन की रीति में निम्नलिखित शामिल हैं,

- चरण I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा (40 अंक)
- चरण II - विवरणात्मक प्रकार की लिखित परीक्षा (40 अंक)
- चरण III - कार्य अनुभव पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण (20 अंक)

ख) चरण I में, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा केलिए प्रश्न पत्र 45 मिनिट तक है और इसके दो भाग हैं- सामान्य (भाग क) और शाखा से संबंधित, कार्य अपेक्षाओं के आधार पर (भाग ख)। भाग क में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, तर्क और मात्रात्मक योग्यता शामिल हैं। प्रश्न पत्र के पैटर्न, प्रश्नों की संख्या और अंकों का आंबटन नीचे दिया जाता है:

प्रत्येक भागों में प्रश्नों की संख्या/ प्रति भाग अंक *					वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा केलिए कुल प्रश्न/ अधिकतम अंक	
सामान्य ज्ञान	सामान्य अंग्रेजी	तर्क	मात्रात्मक योग्यता	शाखा संबंधी		
5	5	5	5	20	40	

* हर एक प्रश्न केलिए एक अंक होगा। नेगटीव अंक नहीं होगा।

ग) चरण -I वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और चरण -II विवरणात्मक प्रकार की लिखित परीक्षा के संबंधी विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुबंध I** में दिया गया है। कृपया नोट करें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।

घ) ऑनलाइन आवेदन की संख्या के आधार पर, चयन की प्रक्रिया सीएसएल द्वारा तय किए अनुसार भारत के किसी स्थान में आयोजित की जाएगी और या ऑनलाइन के माध्यम से। परीक्षा केंद्र का आवंटन सीएसएल के विवेकाधिकार से होगा।

ड) सभी पदों केलिए चरण -I वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होता है तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के क्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद टाई के मामले में, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

च) मेरिट के क्रम के आधार पर, उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के सामने प्रमाणपत्र सत्यापन केलिए 1:6 अनुपात में लघुसूचीगत किया जाएगा। हालांकि सीएसएल को वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा (चरण -I) केलिए न्यूनतम अंक तय करने का अधिकार है और ऐसे मामलों में, लघुसूचीगत का अनुपात 1:6 से कम हो सकता है। ऐसे लघुसूचीयन केलिए, मेरिट सूची में आरक्षित उम्मीदवारों को मेरिट के साथ-साथ आरक्षण पद केलिए भी गिना जाएगा।

छ) केवल वे आवेदक जो प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, को चरण II परीक्षा (विवरणात्मक प्रकार की लिखित परीक्षा) और चरण III परीक्षा (पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण) में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। जो सीएसएल, कोच्ची या सीएसएल द्वारा तय किए अनुसार अन्य किसी स्थान में आयोजित होगी।

ज) उम्मीदवारों द्वारा चरण I, चरण II और चरण III परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित पदों केलिए अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीएसएल को हरेक चरण और अंतिम चयन में उत्तीर्णता केलिए न्यूनतम अंक तय करने का अधिकार होगा।

ड. शर्तेः

क) आरक्षण

- (i) लागू आरक्षण पर भारत सरकार के निदेशों को योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन लागू करेंगे।
- (ii) पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के मामले में दिव्यांगजता की मात्रा न्यूनतम 40% होना चाहिए। दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017 के अनुसार, उम्मीदवारों के पास दिव्यांगजता के प्रमाण में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त वैध अशक्तता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

ख) पद केलिए बैचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों केलिए शारीरिक योग्यता :

क्र. सं	पद का नाम	दिनांक 15.01.2018 के डीओपीटी का.ज्ञा. सं. 36035/02/2017 के खंड 2.2 के अनुसार बैचमार्क दिव्यांगजन की श्रेणियां (पीडब्ल्यूबीडी)	शारीरिक आवश्यकताएं
(i)	सहायक इंजीनियर (मेकानिकल)	खण्ड 2.2 (ख और ग) के अधीन पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, केसी, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी

डीओपीटी का.ज्ञा. 36035/02/2017- स्था (आरईएस) दि. 15.01.2018 में पीडब्ल्यूबीडी के श्रेणियों केलिए विवरण का संदर्भ लें। (कैरियर पृ.)

संक्षेप में उपयुक्त: एस- बैठना, एसटी- खड़ा होना, डब्ल्यू- चलना, बीएन- झुकना, केसी- नीलिंग और झुकाव, एमएफ- उंगली चलाना, एसई- देखना, आरडब्ल्यू- पढ़ना और लिखना, एच- सुनना, सी- कम्यूनिकेशन

ग) योग्यता:

- (i) पद केलिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई / भारत / राज्य/ केंद्र सरकार में उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होना चाहिए।
- (ii) जिन आवेदक के पास निर्धारित योग्यताओं में से किसी के समतुल्य योग्यता है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तुल्यता प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं की जाएगी।

घ) अनुभव:

- (i) केवल उपर्युक्त मद 'क' में निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण होने के बाद प्राप्त किए अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता प्राप्त करने के बाद के अनुभव की अवधि दि 05 मई 2021 से गिना जाएगा।
- (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उचित शाखा में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के रूप में माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी प्रशिक्षण को अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- (iii) सरकारी/अर्ध- सरकारी संस्थानों के मामले में, अन्यथा, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी या समतुल्य विदेशी कंपनी से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्र मिलने पर ही चयन हेतु सूचीबद्ध करने हेतु विचार किया जाएगा।
- (iv) आवेदक जो वर्तमान रूप में किसी कंपनी (निजी/ सार्वजनिक/ सरकारी) में काम कर रहे हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/ नियुक्ति प्रस्ताव पत्र की प्रति, कार्य अनुभव के सबूत के रूप में हाल के वेतन पर्ची/अंतिम आहरित वेतन पर्ची की प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। पिछले रोज़गार केलिए, कार्यभार ग्रहण करने और कार्यमुक्ति की तिथि को सूचित करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में बताए अनुभव को स्थापित करने केलिए सभी मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया जाना है, असफल होने पर आगे के चयन केलिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) पंजीकृत कंपनियों के ठेकेदारों (मालिकाना फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव, ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर मुख्य नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे आवेदकों को अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ ईएसआई और ईपीएफ आदि ब्यौरा जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रधान नियोक्ता के समर्थन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्ववाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों के उम्मीदवारों को आवेदन ऑनलाइन द्वारा सीधे प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र (अनुलग्नक - II के अनुसार) अपलॉड करना है कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित किया है कि वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित पदों केलिए आवदेन कर रहे हैं। यदि नियोक्ता से कोई भी आपत्ति प्राप्त होती है तो, ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से जुड़े उम्मीदवार के मामले में, उन्हें सशस्त्र बल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/ बुक/ पेशन भुगतान आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना है। जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में शैक्षिक योग्यता अनुलेखित किया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित ट्रेड में काम करने का अनुभव होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को प्रमाण के साथ उसी के कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र में समतुल्यता या समर्थन के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में उचित शाखा में योग्यता और कार्य अनुभव को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान भी उसे प्रस्तुत करना है। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, जिसके प्रस्तुत करने में चूक होने पर उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (viii) उन भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिक के रूप में उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद गैर सैनिक पक्ष पर किसी भी सरकारी नौकरी में पुनः रोजगार पर, सरकार में पुनः रोजगार के उद्देश्य केलिए उनकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति को डीओपीटी का. ज्ञा.सं.- 36034/27/84- स्था (एससीटी) दिनांक 02.05.1985, 36034/6/90- स्था(एससीटी) दिनांक 02.04.1992 और 36034/1/2014-स्था (एससीटी) दिनांक 14.08.2014 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सभी भूतपूर्व सैनिक इस बात के लिए ऑनलाइन आवेदन

के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि वे पूर्व सैनिकों केलिए लाभ उठाने के बाद सरकार में फिर से नियोजित नहीं किए गए हैं।

- (ix) आवेदकों को किए गए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पदों केलिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को अपलोड किया जाना चाहिए।

ड) आवेदन शुल्क:

- (i) पद केलिए ऑनलाइन भुगतान विकल्प (डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग) का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से ₹ 400/-रुपए (नावापसी, बैंक चार्ज सहित) का आवेदन शुल्क प्रेषित किया जाना चाहिए, जो दिनांक 20 अप्रैल 2021 से 05 मई 2021 तक प्रयोग किया जा सकता है। भुगतान की अन्य कोई रीत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) अ जा/ अ ज जा/ बैंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं हैं। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई हैं।
- (iii) सभी आवेदक जिन्हें आवेदन शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति को छोड़कर, उपर्युक्त खंड ड (i) में निर्धारितानुसार भुगतान करना चाहिए। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि केवल आवेदन शुल्क की रसीद पर ही उम्मीदवारी पर विचार की जाएगी।

च) आवेदन कैसे करें :

- (i) ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक हमारे वेबसाइट www.cochinshipyard.com (कैरियर पृष्ठ) में दिए यूज़र मैनुवल पढ़ना चाहिए। आवेदन में दो चरण हैं- एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना। उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन न प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) आवेदक, जो अधिसूचित अपेक्षाएं पूरा करते हैं, वे एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करना है। हमारे वेबसाइट www.cochinshipyard.com (कैरियर पृष्ठ) में ऑनलाइन के ज़रिए दिनांक 20 अप्रैल 2021 से 05 मई 2021 तक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध होगी। सीधे या अन्य किसी प्रकार में प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के सबूत में सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में लिए पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड करने केलिए सिस्टम में तैयार रखना चाहिए।
- (iv) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्रों और हाल ही में लिए पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन के अंतिम प्रस्तुति के पहले अपलॉड किया है, यदि असफल हो जाए तो, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और रद्द की जाएगी।
- (v) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही रूप में भरा गया है और आवेदन सफल रूप से प्रस्तुत किया गया है। किसी भी भाग में बेकार विवरणों को प्रस्तुत करना आपका आवेदन अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।

- (vi) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदन/वापस किए आवेदन/ मसौदा स्थिति के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के सफल जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में" (इन प्रोसस) के रूप में दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, उम्मीदवार "माई ऐप्लिकेशन्स" लोग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करने केलिए यह सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति "प्रगति में" (इन प्रोसस) है। आवेदन की सफल पूर्ति या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क के किसी भी वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार अपने संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा प्रजनित एकमात्र पंजीकरण संख्या के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का एक सॉफ्ट कॉपी/ प्रिंटआउट लें। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन आवेदन सफल रूप में प्रस्तुत करने पर ही एकमात्र पंजीकरण संख्या प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकृत संख्या को सीएसएल के साथ पत्राचार के समय दिखाना चाहिए।
- (viii) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क आदि डाक द्वारा सीएसएल को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ix) एसएपी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के ज़रिए आवेदन देने केलिए, वेबसाइट दिनांक 20 अप्रैल 2021 से 05 मई 2021 तक प्रकार्यात्मक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05 मई 2021 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट में भारी भीड़ दूर करने केलिए, जो आवेदन की गैर - प्रस्तुति केलिए कारण हो सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सीएसएल वेबसाइट में लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले ही आवेदनों को प्रस्तुत करें। आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि पर 1700 बजे के बाद एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/ तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

छ) सामान्य:

- (i) ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्र के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच और लघुसूचीगत करने का अधिकार सीएसएल को होगा और ऐसे लघुसूचीगत योग्य उम्मीदवारों को ही खंड घ में बताए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) पदों केलिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर, योग्यता परीक्षाओं में नियत न्यूनतम पात्रता अंक से उच्चतम कट ऑफ अंक नियत करने और तदनुसार चयन केलिए विचार करने हेतु उम्मीदवारों को लघुसूचीगत करने का अधिकार शिपयार्ड को होगा।
- (iii) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी पदों केलिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार योग्यता अपेक्षाएँ रखते हैं।
- (iv) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है
- (क) जिसने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में नियमित या गैर योद्धा के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है, और
- (i) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या इस तरह की सेवा से अपने स्वयं के अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद कार्य मुक्त या सेवा मुक्त राहत हो गया हो; या
 - (ii) जो अपने नियंत्रण से परे सैन्य सेवा या परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पैंशन से सम्मानित किया गया है; या

- (iii) जो स्थापना में कर्मी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है;
- (ख) जो कार्य की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, अन्यथा उसके अनुरोध पर, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन किया गया है और उसे उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कर्मियों, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा केलिए पेंशन धारक या अर्हकारी सेवा की खंडित अवधि शामिल है; या
- (ग) डाक सेवा सेना के कर्मी जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और डाक सेवा सेना से सेवानिवृत्त हैं, पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा से परावर्तन के बिना डाक सेवा सेना से मुक्त कर दिए गए हैं या उनके नियंत्रण से परे सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण या बढ़े हुए चिकित्सा आधार पर सेना के डाक सेवा सेना से मुक्त किए जाते हैं या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; /या
- (घ) कार्मिकों, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक डाक सेवा सेना में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- (ङ) पूर्व सैनिक जो चिकित्सा के आधार पर भर्ती या मुक्त किए गए हो और चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्राप्त हो।
- (v) सीएसएल को उनके आवेदन प्रपत्र में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के सबूत में उम्मीदवारों से अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ी सबूत मांगने का अधिकार है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना एवं उत्तर ई-मेल [career@cochinshipyard.com](mailto:citizen@cochinshipyard.com) द्वारा होना चाहिए । फिर भी, कोचीन शिपयार्ड निर्धारित तिथि एवं समय पर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/ गैर-प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा । ऐसे प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और आगे कोई पत्राचार इस संबंध में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा ।
- (vi) उम्मीदवार, चरण - II और चरण - III चयन के पहले प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान मूल प्रमाणपत्र और अंक सूची प्रस्तुत करने में असफल हो जाए तो उन्हें चरण - II और चरण - III चयन में भाग लेने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (vii) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा केलिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों केलिए कोई यात्रा भत्ता नहीं प्रदत्त किया जाएगा । फिर भी चरण II केलिए भाग लेने वाले अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को प्रमाण की प्रस्तुति पर अपने ऑनलाइन प्रपत्र में सूचित पते से कोचीन शिपयार्ड की ओर से सबसे छोटे मार्ग केलिए कंपनी के नियमानुसार पद केलिए ग्राह्य आगे- पीछे के रेल के स्लीपर / बस भाड़ा की पूर्तिपूर्ति की जाएगी । उम्मीदवारों को यात्रा प्रतिपूर्ति दावा करने केलिए खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करना है और प्रमाणपत्र सत्यापन के समय योग्य प्रतिपूर्ति एनईएफटी द्वारा खाते में क्रेडिट की जाएगी । केवल उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को ही यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति दी जाएगी । फिर भी, चरण II से पहले प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसे चरण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही कोई यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।
- (viii) अपात्रता के मामले में उम्मीदवारी के निरसन के संबंध में पत्राचार पर नहीं विचार किया जाएगा ।
- (ix) बुलावा पत्रों को डाक द्वारा लघुसूचीगत उम्मीदवारों को नहीं भेज दिया जाएगा । उन्हें ईमेल/ एसएमएस/सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.com द्वारा बुलावा पत्र डाउनलॉड करने केलिए सूचित किया जाएगा । चयन की अनुसूची एसएमएस/ ईमेल/ सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से लघुसूचीगत आवेदकों को सूचित की जाएगी ।

- (x) केवल ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति और प्रवेश पत्र जारी करना उम्मीदवार को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं देगा या पात्रता मानदंड पूरा करने की अभिस्वीकृति के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकेगा।
- (xi) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन और यदि लागू हो, तो जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होगी।
- (xii) उम्मीदवार को कंपनी द्वारा निर्धारितानुसार चिकित्सा योग्यता मानकों को पूरा करना है और अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहिए। चयनित आवेदकों को अपने खर्च में कंपनी द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा में जाना होगा और सभी उम्मीदवारों की चिकित्सा योग्यता आगे सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के अधीन है।
- (xiii) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक उद्यमों में पहले ही कार्यरत किसी उम्मीदवार के पिछले रोज़गार के वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन अंशदान आदि के कारण किसी देयता को नहीं संभालेगा।
- (xiv) प्रतीक्षा सूची सभी विषयों हेतु बनाए रखा जाएगा और इसमें शामिल होने की तिथि के भीतर रैंक सूची से कोई उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण होनेवाली रिक्ति की स्थिति में संचालित की जाएगी जैसा कि उम्मीदवार को जारी किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्धारित किया गया है या जहाँ एक उम्मीदवार पद से जुड़ जाता है और सीएसएल में शामिल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या पद से इस्तीफा दे देता है। प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक या नियुक्ति की तिथि से उम्मीदवारों को जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित, जो भी पहले हो, जब तक कि उस पद के लिए नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। ऊपर बताई गई रिक्ति को एक ताजा रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इस अधिसूचना के सामने भरे गए पदों की वास्तविक संख्या किसी भी परिस्थिति में इस अधिसूचना में इंगित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
- (xv) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद कोचीन शिपयार्ड को अधिसूचित रिक्तियां न भरने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों को भरने हेतु रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड को यदि अपेक्षित है तो, सूचना के बिना अथवा उसके लिए कोई भी कारण नियत किए बिना भर्ती प्रक्रियाएं सीमित करने / बदलने/ रद्द करने/ परिवर्तन करने का अधिकार है।
- (xvi) यदि किसी स्थिति में, कोई सूचित कार्य असत्य/ गलत पाया गया या उम्मीदवार योग्यता अपेक्षाओं को पूरा न करते हैं तो, बिना सूचना के उम्मीदवारी / नियुक्ति, रद्द/ अस्वीकृत की जाएगी।
- (xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि केलिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xviii) इस विज्ञापन से व्युत्पन्न किसी दावा अथवा विवाद के संबंध में किसी वैध कार्रवाई और/अथवा इस संबंध में आवेदन केवल एर्णाकुलम में अधिकार क्षेत्र होने वाले न्यायालय/ट्रिब्यूनल/मंच में संस्थापित कर सकता है और ऐसे न्यायालय व प्राधिकरण को एकमात्र तथा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xix) विज्ञापन में कोई आशोधन, संशोधन अथवा परिवर्तन केवल सीएसएल वेबसाइट में ही दी जाएगी।
- (xx) किसी भी तरह के स्पष्टीकरण केलिए, कृपया ई-मेल career@cochinshipyard.com के ज़रिए संपर्क करें।

च. महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

: 20 अप्रैल 2021
: 05 मई 2021

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी। ”
“केवल भारतवासी ही आवेदन करें। ”

ह/-

महाप्रबंधक (मा.सं.)

